

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 357 / तेरह-आ0प्राधि0 / कोरोना / 2020

दिनांक- 06 अप्रैल, 2020

समस्त व्यापार मण्डल अध्यक्ष,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय- जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम विषयक।

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव उत्तराखण्ड राज्य में फैल रहा है। उत्तरकाशी जनपद के निकटतम जिलों देहरादून और हरिद्वार में कोरोना के पोजिटिव व्यक्ति पाये गये हैं। इस संक्रमण की जनपद में फैलने की सम्भावना है। जिसके दृष्टिगत कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सभी समुचित उपाय किये जाने आवश्यक है।

वर्तमान में लॉक डाउन के मध्य व्यापारियों द्वारा केवल महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की सप्लाई देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार तथा नजीबाबाद से जनपद के विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। नागरिक आपूर्ति के वाहनों तथा सामग्रियों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार जनपद में हो सकता है। इसके दृष्टिगत उच्च स्तर की सावधानी बरती जानी आवश्यक है।

उक्त के क्रम में जनपद के समस्त व्यापारी जो अन्यत्र स्थानों से आवश्यक सामग्री थोक विक्रेताओं, मण्डियों से क्रय कर जनपद में ला रहे हैं वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे थोक विक्रेताओं से सामग्री क्रय न करें जिनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी-ट्रक स्टाफ में इन्फ्लूएन्जा / कोरोना के लक्षण परिलक्षित हो रहे हो। सामग्री जनपद में लाते समय वाहनों तथा सामग्रियों को उचित प्रकार से जनपद के सीमा पर स्थित बैरियर में तैनात टीम के माध्यम से तथा अपने बाजार केन्द्र पर आवश्यक रूप से सेनेटाईज कर लें तथा स्थानीय स्तर पर उनके संचरण को नियंत्रित रखें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 2- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत
जनपद उत्तरकाशी।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेशः

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव में तैनात डॉ० रफी (एम०बी०बी०एस०) को जनहित में, कोरोना संक्रमण के प्रभावितों के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में स्थापित कोविड चिकित्सालय में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक तैनाती की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा डॉ० रफी को इस हेतु अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे। डॉ० रफी को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपनी उपस्थिति जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में देना सुनिश्चित करें।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या— 356 / तेरह—आ०प्राधि० / कोरोना / 2020 दिनांक— 06 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2— प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
- 3— मुख्य चिकित्साधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव
- 4— डॉ० रफी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी को फैलने से रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण देश में दिनांक 24.03.2020 से 21 दिनों का लॉक डाउन घोषित किया गया है। जनपद में कोरोना वायरस की रोकथाम व इसके संक्रमण से सुरक्षा हेतु निम्नांकित आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशानुसार जनपद अन्तर्गत संचालित आवश्यक सेवा के वाहन/अपरिहार्य परिस्थिति में जारी पास द्वारा संचालित वाहन के अतिरिक्त जनपद में चिन्वालीसौड़ एवं डामटा सीमा से आने वाले समस्त वाहनों का बिना 14 दिवसीय "Institutional Quarantine" के प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। उपरोक्त स्थलों में 01 मजिस्ट्रेट, चिकित्सा टीम, सफाई दल मय स्प्रे मशीन व पुलिस बल के साथ तैनात रहेगी तथा चेक पोस्ट पर जनपद में आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जायेगी एवं वाहनों को सेनाटाइज किया जायेगा। अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के आने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए।

2- उक्त दोनों स्थानों के अतिरिक्त जनपद में प्रवेश के अन्य स्थान यथा-धौन्तरी, दीवारखोल (बनचौरा), सनेल आराकोट (मोरी) में भी सीमाएँ पूर्णतः सील की गई हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्थानों से किसी भी दशा में कोई बाहरी व्यक्ति पैदल अथवा मय वाहन, ट्रक एवं टिपर जनपद में प्रवेश न करने पायें। उक्त स्थानों पर सख्ती के साथ सीमाएँ सील कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी उपरोक्त क्षेत्र के ग्रामीणों की नैतिक आवश्यकताओं, चिकित्सा सम्बन्धी व निकटतम बाजार की मांग-आपूर्ति का आंकलन कर ले।

3- जिन आवश्यक सेवा के वाहन यथा सब्जी, खाद्यान्न आदि के ट्रक, टिपर, यूटिलिटी द्वारा बाहर से विविध खाद्यान्न सामग्री, सब्जी, दूध, न्यूज पेपर आदि की जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक दिन आपूर्ति की जा रही है उन सभी को यथा सम्भव अपने गन्तव्य आपूर्ति स्थल (नगरपालिका/नगरपंचायत) पर एक ही निश्चित स्थान पर सामग्री की अनलोडिंग करने एवं सेनेटाइज करने हेतु व्यवस्था की जायेगी तथा अनलोडिंग हेतु प्रयुक्त मजदूर व वाहन चालक/परिचालक आदि की भी एक निश्चित स्थल पर रुकने की व्यवस्था की जायेगी ताकि संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं को कम से कम किया जा सके। उपजिलाधिकारी व्यापारियों के साथ बैठक कर इसका वर्किंग मॉडल को तैयार कर ले। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत इन वाहनों की धुलाई/सफाई सुनिश्चित करेंगे तथा चिकित्सा टीम मजदूरों, वाहन चालकों व वाहन में बैठे अन्य व्यक्तियों का मेडिकल चेकअप/स्क्रीनिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही व निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी ।

पत्र संख्या—352/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक ०६ अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी ।
- 2— मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 3— अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 4— मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 5— समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
- 6— पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी / बडकोट ।
- 7— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तरकाशी ।
- 8— अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी ।
- 9— समस्त थानाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी ।
- 10— सम्बन्धित तैनात मजिस्ट्रेट ।
- 11— जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी ।


अध्यक्ष,


जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (कोविड-19) का विश्वभर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटे हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में कोरोना एवं इन्फ्लुएन्जा के लक्षणों (सूखी खॉसी एवं बुखार) से ग्रसित व्यक्तियों का डोर-टू-डोर परीक्षण ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण टीम द्वारा किया जाना है। प्रत्येक ग्राम स्तरीय टीम में सम्बन्धित ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ती एवं स्थानीय राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/इण्टर विद्यालयों के एक-एक शिक्षक की तैनाती की जानी है।

उपरोक्त टीम सम्बन्धित ग्राम के प्रत्येक घर के सदस्यों का दिये गये समस्त निर्देशानुसार सर्तकता का पालन करते हुए कोरोना एवं इन्फ्लुएन्जा के लक्षणों (सूखी खॉसी एवं बुखार) से ग्रसित व्यक्तियों का भौतिक सर्वेक्षण करेंगे। दैनिक आख्या संलग्न प्रारूप पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के अध्यक्षता में गठित टीम को निम्न दूरभाष/वॉट्सएप-7455933268 एवं ई-मेल icdsuttarkashi@gmail.com पर अनिवार्यतः उपलब्ध करायेगे। उपरोक्त टीम मात्र SARI/ILI के लक्षण परिलिखित करने वाले व्यक्तियों की सूची सर्वेक्षित व्यक्तियों से पर्याप्त दूरी व पूर्ण सतर्कता रखते हुये (मास्क, सैनेटाइजर आदि) तैयार करेंगे तथा किसी व्यक्ति में यदि इस तरह के लक्षण पाये जाते हैं तो चिकित्सीय परीक्षण हेतु जांच दल को सूचित करेंगे।

संलग्न-यथोपरि



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्रांक - 349/तेरह-आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020/

दिनांक- 06 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि-

1. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त गठित "ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण" टीम द्वारा प्रेषित प्रत्येक ग्राम की आख्या को संकलित करते हुए उसका विस्तृत विश्लेषण कर कन्ट्रोल रूम एवं वाररूम को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वय स्थापित कर दैनिक रूप से निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध आख्या की सूचना सुव्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद उत्तरकाशी।
9. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

:: प्रमाण पत्र ::

राजस्व ग्राम का नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांकको जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी के आदेशानुसार राजस्व ग्राम.....का गठित टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में ग्राम के कुल..... परिवारों के सदस्यों से पूछताछ की गयी तथा कोरोना वायरस सम्बन्धी लक्षणों के बारे में सूचना दी गयी। सर्वेक्षण मेंपरिवारों के..... सदस्यों में सूखी खांसी एवं बुखार के लक्षण पाये गये तथा इनमें से परिवारों के सदस्य उत्तरकाशी के बाहर से आये हैं। इनकी सूची संलग्न है। शेष व्यक्तियों को, जो अन्य राज्यों/देशों से ग्राम में आये हैं, उनको गृह संगरोधन में 14 दिनों तक रहने के निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर—

हस्ताक्षर—

हस्ताक्षर—

हस्ताक्षर—

सम्बन्धित आशा
कार्यकर्त्री
नाम—

सम्बन्धित आंगनवाडी
कार्यकर्त्री
नाम—

सम्बन्धित शिक्षक
नाम—

सम्बन्धित ग्राम प्रधान
नाम—

::आदेशः

मा० उच्चतम न्यायालय में कोविड-19 लॉक डाउन से विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को भोजन, आवास तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु रिट याचिका संख्या-468/2020 दायर की गयी है।


मा० उच्चतम न्यायालय में उक्त रिट याचिका संख्या-468/2020 में दिनांक 31.03.2020 को सुनवायी के पश्चात लॉक डाउन से प्रभावितों हेतु चलाये जा रहे राहत कैंप/शिविरों में रह रहे लोगों के कल्याण तथा उनकी समस्याओं तथा भय के निराकरण हेतु प्रशिक्षित कॉउन्सलर व सभी धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा कॉउन्सिलिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी हेतु निम्नवत कॉउन्सिलिंग समितियों का गठन किया जाता है-

क्र० सं०	कॉउन्सलर/धार्मिक प्रतिनिधि का नाम	पद नाम	मोबाईल न०	आवंटित क्षेत्र	
समिति संख्या -01	1	डॉ० एस०डी० वर्मन,	मनोचिकित्सक, (पी०सी०पी०) चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9412104972	तहसील भटवाडी, डुण्डा,
	2	डॉ० अंशुमन शर्मा,	मनोचिकित्सक, (पी०सी०पी०)जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	-	चिन्यालीसौड
	3	श्री शिवप्रकाश जी महाराज	रावल, गंगोत्री मन्दिर समिति	9411174750	तथा उप तहसील जोशियाडा,
	4	मो० इरशाद कुरैशी,	अध्यक्ष, मस्जिद कमेटी, उत्तरकाशी।		धौन्तरी का सम्पूर्ण क्षेत्र
	5	मो० यूनुस,	इमाम जामा मस्जिद, उत्तरकाशी	9411396912	
	6	श्री दिनेश प्रसाद भट्ट,	फार्मासिस्ट, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।		
	7	श्री सुरेश सेमवाल	अध्यक्ष श्री 5 मन्दिर समिति, गंगोत्री	9557111493	

समिति संख्या-02	1	श्री कृतेश्वर उनियाल	सचिव, मन्दिर समिति यमनोत्री	9760167588	तहसील बडकोट, पुरोला तथा मोरी का सम्पूर्ण क्षेत्र
	2	डॉ अंगद राणा	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडकोट	9411142459	
	3	डॉ0 पंकज कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला।	7455074955	
	4	श्री मोहन प्रसाद	पुजारी, ग्राम गेर वनाल,	9927282149	
	5	समीर बेग	प्रतिनिधि मुसलिम समुदाय, खरादी, बडकोट।	7310747001	
	6	अयूब	प्रतिनिधि मुसलिम समुदाय, कुकरेडा तहसील मोरी।	9805147055	

उक्त गठित समितियां आवंटित क्षेत्रों में स्थित शरणालयों तथा ऐसे स्थलों जहाँ लॉक डाउन के कारण श्रमिक, निम्न वर्ग के लोग तथा निः सहाय/निराश्रित व्यक्ति रह रहे हैं उनका भ्रमण करते हुये ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनकी कॉउन्सिलिंग करते हुये समस्याओं का निराकरण करेगें ताकि इनके मध्य व्याप्त भय एवं असुरक्षा की भावना को कम किया जा सकें। साथ ही उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, राशन की पर्याप्त मात्रा, किराये सम्बन्धी समस्याओं आदि पक्षों का निरन्तर अनुश्रवण कर उनके निरन्तर सम्पर्क में रहते हुये उन्हे मनो-सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायेगें।


अध्यक्ष,


जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या 312/तेरह-आ0प्र0/2020

दिनांक- 01 अप्रैल, 2020

- प्रतिलिपि -
- 1- पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह शिविरों अथवा अन्यत्र स्थानों पर निवासरत व्यक्तियों के निरन्तर सम्पर्क में रहेगें।
 - 3- समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या- 194 /आ0प्र0प्र0 (COVID-19)/2020

दिनांक 05 अप्रैल, 2020

1. समस्त उप जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
2. प्रमुख चिकित्साधीक्षक,
जनपद उत्तरकाशी।
3. समस्त चिकित्साधिकारी,
सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद उत्तरकाशी।


विषय:- विभिन्न चिकित्सालय में विगत दिनों ओ0पी0डी0 एवं आपातकालीन कक्ष में "ILI" / "SARI" सम्बन्धी लक्षणों से ग्रसित मरीजों की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटे हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में वृहद स्तर पर प्रत्येक चिकित्सालय सहित जिला चिकित्सालय में विगत दिनों ओ0पी0डी0 एवं आपातकालीन कक्ष में देखे गये "ILI" / "SARI" सम्बन्धित लक्षणों के मरीजों की सूची उपलब्ध करायी जानी है, ताकि उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना के दृष्टिगत पुनः जांच की जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश के क्रम में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख चिकित्साधीक्षक/सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से समन्वय कर विगत दिनों ओ0पी0डी0 एवं आपातकालीन कक्ष में देखे गये "ILI" / "SARI" सम्बन्धित लक्षण के मरीजों की सूची जिला चिकित्सालय में स्थापित कोविड-19 चाररूम को दिनांक 06-04-2020 को 12.00 बजे दिन तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आशाओं के माध्यम से उपरोक्त समस्त "ILI" / "SARI" लक्षण वाले व्यक्तियों को गृह संगरोधन में रखते हुए BRT/CRT, WAR Room को कोविड मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनके स्वास्थ्य पर पूरी निगरानी रखी जानी सुनिश्चित करें।

नोट :- दिनांक - 01-3-20 H

आज तक।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्रांक- 33-36

/COVID-19/2020-21

दिनांक-05 अप्रैल 2020

आदेश

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी के आदेश संख्या-342/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक-04 अप्रैल 2020 एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुरोला के आदेश संख्या-195/पी0ए0-को0वा0पत्रा0/2020 दिनांक-04 अप्रैल 2020 में आशिक सशोधन करते हुए निम्नानुसार आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों/फार्मासिस्टों की तैनाती की जाती है। शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती पूर्व की भाँति यथावत् रहेगी।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम
बडासू-अडोर	ओसला, पवाणी, डाटमेर, गगाड,	श्री राजेन्द्र सिंह, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 डाटमेर, मो0-9458388911
	सौड़, साकरी, सिदरी, कोटगाँव	श्री संदीप रावत, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 साकरी, मो0-9456335092
पंचगाई	फिताडी, लिवाडी, रेक्वा, राला, कासला, पारा	श्री सतीश बडोनी, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 फिताडी, मो0-9634883603
	जखोल, पाव, तल्ला, मल्ला, सौणी, सटूडी, सिगरा, सुनकुडी	श्रीमती अनु जोगेला, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 जखोल, मो0-9690856719, 8941965813
फतेपर्वत	सेवा, बरी, हडवाडी, दोणी, नूराणू, भितरी, पुजेली, मसरी, सट्टा, खन्ना, ग्वालगाँव	श्री शैलेन्द्र कन्तुरा, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 दोणी, मो0-8126040329
सिंगतूर	दणगाडगाँव, स्विचाणगाँव, कामरा, पोखरी, गुराडी, पासा, पेनसर, देवरा, गिन्चियाणगाँव	डा0 अनिल कुमार दूबे, चिकित्साधिकारी (NHM) प्रा0स्वा0केन्द्र मोरी, मो0-9456761862, 9415591606
	संरास, सालरा, कुनारा, नानई, नैटवाण, लुदराला, हल्टाडी, कलाप, विनोल	श्री प्रवेश कुमार अवस्थी, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 डोभालगाँव, मो0-9410159466
गाडुगाड	खेडमी, देवजानी, जिवाणू, रमालगाँव, डाण्डागाँव, डोभालगाँव, खरसाडी, नेत्रूसा, विगसारी	डा0 लवलेंद्र सिंह, चिकित्साधिकारी (सविदा) राज0आयु0चि0 डोभालगाँव, मो0-9927563533
बंगाण-1	चिवाँ, गोकुल, झोटाडी, माकुडी, बरनाली	श्री मनमोहन लाल, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 चिवाँ, मो0-8941948528
	मोन्डा, बलावट, थापली, अडासू, जागटा, धारा, उडोली,	डा0 सुभाष चौहान, चिकित्साधिकारी राज0आयु0चि0 चिवाँ, मो0-9410190195
	किराणू, दुचाणू, आराकोट	श्री नागेन्द्र महन्त, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 चिवाँ, मो0-8941948528
बंगाण-2	भूटाणू, पावली, डामटी, मौज्यणी, किरोली,	श्री मनोज प्रसाद अवस्थी, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 चिवाँ, मो0-9568883760
	कलीच, गमरी, धुनारा, बामसू, भक्वाड, मोताड, बैंगल, थली, ओडाटा, देवती, पेतडी	श्री विवेक सिंह असवाल, फार्मासिस्ट मो0-9410976627
पुरोला	सरगाँव, डिगाडी, लेवटाडी, गोल, छानिका, पिंडार, कसली, पौटी	श्री मनोहर श्याम नोटियाल, फार्मासिस्ट राज0आयु0चि0 सरबडियार, मो0-9410132410

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तरकाशी।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02- जिला अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 03- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 04- उप जिला मजिस्ट्रेट पुरोला/मोरी, उत्तरकाशी।

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तरकाशी।


:: आदेश ::

कोरोना वायरस (Covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ एवं अति दुर्गम क्षेत्र मोरी तथा आराकोट में कोरोना के संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान, जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाना है तथा संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने हेतु निम्न प्रकार कोविड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते हैं।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कास्टेबल/पीओआरडीओ स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वन विभाग के कार्मिक का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो० न०
1-बडासू-अडौर	ओसला, पंवाणी, डाटनीर, गंगाड, सौड़, सांकरि, सिदरी, कोटगांव	श्री जगत सिंह, प्रवक्ता (9917060059)	डॉ विनोद कुमार धोनी, स्यानाचट्टी-89 79011617	का०124ए०पी०-गुंजन-8755556525 श्री कुशल सिंह-9456546638/9675116807	श्री खिलानन्द, वन दरोगा 7455937660	UK10TA-1010 UJVNL मनेरी	श्री कमल 9411399692
2-पंचगाई	फिताडी, लिवाडी, रेक्वा, शाला, काराला, धारा जखोल, पांव, तल्ला, मल्ला सोणी राट्टी, शिरगा, सुनकुण्डी	श्री धिनेन्द्र सिंह प्रवक्ता 9411122326	डॉ० लबलेन्द्र सिंह, डोमालगांव-992 7563583	का०28 ए०पी० सुरजीत- 9675846462 श्री त्रपन सिंह 8954487248 8859394944	श्री रंजन लाल वन दरोगा, 9568180836	UK10TA-0785 UJVNL	श्री राकेश शाह- 6399605883
3-फतेपर्वत	रोवा, बरी, हडवाडी, नुराणू, गितरी, पुजेली, मरारी, राट्टा, दोणी, खन्ना, ग्वालगांव	डॉ० बिजेन्द्र सिंह असावाल, प्रवक्ता 8979290764	डॉ० सोबत सिंह भण्डारी, बलाडी- 8857856927	का० 71ए०पी० मानसिंह-7895917135 श्री विजयपाल सिंह 7579029688	श्री शरद राणा वन दरोगा 9639265667	UK10TA-789 UJVNL	श्री शम्भू प्रसाद- 9458149929
4-शिंगतूर	दणगाडगांव, रिवाचाणगांव, कामरा, पोखरी, गुराडी, पारा, पेंसर, देवरा, गेचवाणगांव, संसारा, सालरा, कुनारा, नानई, नेटवाई, लुदराला, हल्लाडी, कलाप, बिनोल	डॉ० पवन कुमार, प्रवक्ता- 9412151069	डॉ० हरदेव सिंह, रावत, बडकोट- 8449595491	का० 228 ए०पी० राधेश्याम-7505232422 श्री मायामोहन 8954889125	श्री विजेन्द्र, बगारी, वन दरोगा	UK07/Tb -5048 UJVNL	श्री रिषेब- 6395509739
5-गाडूगाड	खेडगी, देवजानी, जिवाणू, रमालगांव, डाण्डागांव, डोगालगांव, खरसाडी, नेत्रूसा, विगसारी,	श्री विनोद प्रसाद नौटियाल, प्रवक्ता 9410790066	डॉ० रश्मिचन्द, कुवा- 9410357761	का० 214ए०पी० देवेश-8868082825	श्री सुन्दर लाल भक्ती, वन दरोगा	UK10/TA -0850 पर्यटन	श्री राजीव- 7500960043
6-बंगाण- I	बरनाली, गोकुल,झोटाडी, गाकुडी चिंवा, मोण्डा बलावट, थापली, अढारू, जागटा, धारा, डगोली, किराणू, दुचाणू, आराकोट	श्री किशोरी लाल डबराल, प्रवक्ता 9411311941	डॉ० सुभाष चौहान, चिंवा- 95682011184	श्री शीशपाल सिंह 9456723703/962734 7802	श्री गरीश चद्र, वन दरोगा	UK10/G A 0004 उद्यान	श्री प्यारेलाल- 9410153674
7-बंगाण- II	किरोली, कलीच, कुकरेडा, गमरी, भुटाणू, पावली, डामटी थुनारा, बामरू, भक्वाड, मैज्यणी, गीताड, बैगल, थली, ओडाटा, देवती, पेतडी	श्री गरीश चन्द्र, प्रवक्ता 941015391	फार्मासिस्ट विवेक सिंह असवाल, पुरोला-941097 6627	श्री अर्जुन सिंह-7253923625/ 8006050859	श्री चन्दन सिंह सजवाण, वन दरोगा	UK07/TA 7069 भूमि संरक्षण	श्री चमन सिंह- 7579195047

उपरोक्त टीम ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों के बारे में तथा अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखने, उनमें संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने की कार्यवाही करेंगे तथा इनकी ट्रेवल एवं Contact History से सम्बन्धित डाटा एकत्रित कर आंख्या दैनिक रूप से वाररूम (01374-222640) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(डॉ० आशीष चौहान),

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या-342/आ०प्र०प्रा० (COVID-19)/2020

प्रतिलिपि-

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, पुरोला।
3. पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, टीस वन प्रभाग, पुरोला।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. तहसीलदार, मोरी।

दिनांक 07 अप्रैल, 2020


अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::


कोरोना वायरस (COVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अन्य जनपदों/राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा दिशा निर्देशानुसार होम क्वारंटीन प्रोटोकॉल अनुपालन कराये जाने तथा द्रव्य हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्न प्रकार कोविड नजिस्ट्रेंट नामित किये जाते हैं।

क्र० सं०	जोन (चिन्हालीसौंड)	कोविड नजिस्ट्रेंट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	प्रान्तीय रक्षक दल से तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो० न०
1	श्रीवाोट, मधोली, मुपार, इन्द्र	श्री तकदीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मटवाडी मो०-7579016888	डॉ० एस० रमोला मो०-8956559296	श्री बचन सिंह 9997497945	UK10-4944	जयेन्द्र भट्ट मो०-9458134142
2	घारकोट, ज्योष्टवाडी, टिनरी, बनवाँरा, विलोड	श्री विक्रम नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मटवाडी मो०-8979455464	डॉ० पंचोली मो०-9760402731	श्री जितेन्द्र सिंह मो० 9411733421	UK07-2630	दीपेन्द्र शाह मो०-9068719334
3	बगोडी, गोरग, दिघती, कवागडूडी, बनकोट, भैगवाल गांव	श्री हरीश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता पर्यटन विभाग, उत्तरकाशी। मो०	डॉ० एम० जोशी मो० 7409063736	श्री दुर्गेश प्रसाद भट्ट मो० 9639678772	UK 07 TA 7069	चमन मो०-7579195047
4	जोगत, जोगत तल्ला, जगड गांव, कपारी तर्प, जमाल	श्री अशोक भट्ट सहायक अभियन्ता पी०एन०जी०एन०वाई० उत्तरकाशी। मो० 9760041357	डॉ० पी० रागर मो० 9548030626	श्री विजलपाल खत्री मो० 9411568121	UK10-0008	अनिल सिंह मो०-9627791782
5	न्युखालती, कुमराडा, उखारी गांव, खालती,	श्री गिरेश सिंह राणा, कनिष्ठ अभियन्ता सिचाई खण्ड ज्ञानसू मो० 9897431633	श्री राजेश जोशी (फार्मासिस्ट) मो०-8755662544	श्री नागेन्द्र चौहान मो० 96399926975	UK10-0615	जय प्रकाश मो०-7895815666
6	खामंड, बादनी, चैन्तल, अदनी,	श्री अरविन्द सिंह, अपर सहायक अभियन्ता सिचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो० 7895161286	श्री पुरसोडा (फार्मासिस्ट) मो० 9411380216	श्री विनोद पंवार मो० 7351873772	UA10-0507	विपिन सिंह रावत मो०-8979831960
7	बन्दोल गांव (जिब्या), नुरोनी, बनगांव, बदाखा, बनोट,	श्री राजेश नौटियाल, सहायक अभियन्ता सिचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो० 9412381199	श्री भगवान सिंह बिष्ट, (फार्मासिस्ट) मो० 7500823594	श्री ईलम सिंह मो० 9837645318	UK07-0414	जितेन्द्र मो०-9690604215
8	हितारा, कान्ती, नागनी, बडेधी, निमलनगडी, तुल्याडा	श्री हिनासु नौटियाल, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी। मो० 9411141866	श्री अजय राणा (फार्मासिस्ट) मो०-9458115552	श्री सुनील चौहान मो० 9759992619	UK10-0776	हरेन्द्र सिंह नेगी मो०-8126156681
9	कोट, चिन्हालीसौंड, बागी, सूली ठांग, शक्तिपुरन, चिन्हाली गांव	7500817383 श्री सन्दीप भट्ट अपर सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग, ज्ञानसू मो० 9760275099	श्रीमती लता जगुडी (फार्मासिस्ट) मो०-9690261982	श्री प्रवीन मो०-9760302936	UK10-0006	कमल सिंह असवाल मो०-8979064313

ब्लॉक चिन्हालीसौंड की QRT Team (Vinod Negi Pharma- 9758010176) द्वारा गड़थ, मगाणगांव, जिब्या, जोकणी, हटनाली, बरोल एवं RBSK Team (Dr. Richa - 8126378362) द्वारा सुतारगांव, तरगांव, नेरी, मडकोट, पीपलखण्ड ग्रामों में उक्तानुसार कार्य किया जाना है।

उक्त टीम ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों के बारे में जाँच करते हुये आख्या दैनिक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


अध्यक्ष

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या- 347 /आ०प्र०प्र० (COVID-19)/2020

दिनांक 06 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि-

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।



अध्यक्ष

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या-329/आ0प्र0प्राधि0 (covid-19) 2020 दिनांक 03.04.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपद में आये व्यक्तियों का होम क्वॉरन्टाइन में निगरानी एवं तत्सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु परगना बडकोट में क्रम संख्या-1 पर अंकित श्री अमित चौहान, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौगांव की तैनाती कोविड मजिस्ट्रेट हेतु की गयी है। श्री चौहान की तैनाती कोरोना सम्बन्धी प्रशिक्षण टीम में होने के कारण उनके स्थान पर श्री अरुण कुमार, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट (मो0-9719003723) की तैनात परगना बडकोट में कोविड मजिस्ट्रेट के रूप में की जाती है।

उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर ग्रामवार होम क्वॉरन्टाइन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जांच करते हुये आंख्या दैनिक रूप से उप जिलाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(डॉ0 आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /

पत्र संख्या-340/आ0प्र0प्राधि0(covid-19/20) दिनांक-4 अप्रैल, 2020 जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को क्षेत्र आवंटित करेंगे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव/पुरोला ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय: जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तरकाशी।

पत्रांक / 338 / आ.प्र.प्रा.(कोविड-19) 2020

दिनांक 03.04.2020।

सेवा में,


समस्त ग्राम प्रधान,
विकासखण्ड मोरी/पुरोला/नौगांव/चिन्वालीसौड/डुण्डा/भटवाडी।

विषय- ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे ग्रामीण लाभार्थियों को भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु तिथियों का निर्धारण एवं सोशियल डिस्टेंसिंग के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अप्रैल 2020 की तिथि से विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण लाभार्थियों को वर्तमान आपदा के दृष्टिगत कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन अवधि में अनुमन्य धनराशि बैंकों से समय प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक नगद लेनदेन के द्वारा प्राप्त होगी। दिनांक 03 अप्रैल 2020 से दिनांक 09 अप्रैल 2020 तक हित धारकों को उनके खाते की संख्या के अन्तिम अंक क्रमशः 0 या 01 दिनांक 03 अप्रैल 2020, 2 या 3 अंक वाले खाते धारकों दिनांक 04 अप्रैल 2020 को, अन्तिम अंक क्रमांक 4 या 5 को दिनांक 07 अप्रैल 2020 को खाते के अन्तिम अंक 6 या 7 हेतु दिनांक 08 अप्रैल 2020 को तथा अन्तिम अंक 8 या 9 के खाता धारकों को दिनांक 09 अप्रैल 2020 हेतु पत्र संख्या 322 दिनांक 02 अप्रैल 2020 के द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस पत्र में दिये गये सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंकों में सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन व वायरस के संक्रमण से रोकथाम के दृष्टिगत किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत वार रोस्टर भी निर्गत किया गया है।

अतः आप सभी से अपेक्षा होगी कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु के दृष्टिगत बैंकों में उपरोक्त निर्धारित तिथियों में लाभार्थियों को बैंक में भेजने हेतु स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान भी हो सके तथा ग्राम पंचायत के निवासी संक्रमित होने से सुरक्षित रह सकें।

संलग्नक:- ग्रामों की रोस्टर सूची तथा बैंक में खातों की नियत दिनांक आदेश।


(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2- जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी।
- 3- जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 5- अग्रणी बैंक प्रबन्धक उत्तरकाशी।
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी उत्तरकाशी।



अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या—336/तेरह-आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020


दिनांक—03 अप्रैल, 2020

मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय— गर्भवती महिला के हेमोग्लोबिन जाँच के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन के कारण जनपद में गर्भवती महिलाओं को नियमित जाँच कराने तथा चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में समस्याएँ आना संज्ञान में आया है। जनपद में ऐसी गर्भवती महिलाएँ जिनके हेमोग्लोबिन की जाँच नहीं की गयी है अथवा जिनमें हेमोग्लोबिन का स्तर न्यून है वह उन्हें चिकित्सीय सुविधाएँ उनके निवास स्थानों पर जाकर किया जाना आवश्यक है। ऐसी महिलाएँ प्रसव के समय मातृ मृत्यु की दृष्टि से अत्यन्त सवेदनशील है मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु उक्त महिलाओं को उचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।


उक्त के क्रम में आप सम्पूर्ण जनपद की गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण तथा उनके हेमोग्लोबिन की जाँच तथा न्यून हेमोग्लोबिन स्तर वाली महिलाओं के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सम्बन्धित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर टीमे गठित कर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2— समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3— समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्तरकाशी।
- 4— आशा समन्वयक, जनपद उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या-337/तेरह-आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020

दिनांक-03 अप्रैल, 2020


- 1- मुख्य कृषि अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।
- 2- मुख्य उद्यान अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय- कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन के मध्य कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में फसल कटाई तथा बागवानी कार्य विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉक डाउन के मध्य कृषि क्षेत्र में फसल कटाई तथा आवश्यक कृषि निवेशों की विक्री एवं परिवहन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 24.03.2020, प्रथम परिशिष्ट दिनांक 25.03.2020 तथा द्वितीय परिशिष्ट दिनांक 27.03.2020 के द्वारा गाईड लाईन निर्गत की गयी है जिसमें लॉक डाउन अवधि में कृषि कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में कृषि फसलों की कटाई एवं बुवाई, बागवानी क्षेत्र में कार्यरत कास्तकारों तथा कृषि निवेशों की विक्री तथा परिवहन में कार्यरत कृषकों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जायेगा। 04 से अधिक कृषक कृषि निवेश केन्द्रों पर एकत्रित न हो तथा कृषि निवेश केन्द्र में कार्यरत कर्मिकों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जायेगा और कृषकों हेतु सेनेटाईजर तथा हाथ धोने हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

अतः आप जनपद में अपने अधीनस्थ क्षेत्रिय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों एवं कास्तकारों के मध्य सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 के तहत जारी दिशा/निर्देशों तथा भारत सरकार एवं शासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। भारत सरकार एवं शासन से प्राप्त दिशा निर्देश एवं शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या 334 / तेरह-आ0प्र0 / कोरोना वायरस / 2020

दिनांक-03 अप्रैल, 2020


जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय— समेकित बाल विकास सेवाएँ स्कीम अन्तर्गत टेक होम राशन वितरण विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समेकित बाल विकास सेवाएँ स्कीम अन्तर्गत टेक होम राशन का वितरण दिनांक 05 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य किया जाना है। टी0एच0आर0 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं को किया जायेगा।

वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की अत्यधिक संभावना है। कोरोना वायरस संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार द्वारा महामारी घोषित किया गया है। टी0एच0आर0 के वितरण में आपके विभागीय अंगनबाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा टी0एच0आर0 क्रय कर लाभार्थियों को घर-घर वितरण किया जाना है।

उक्त के क्रम में आप टी0एच0आर0 क्रय करने के सम्बन्ध में सुनिश्चित करें कि जिन दुकानों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रीयों द्वारा राशन एवं सामग्री क्रय की जा रही है उन दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की सफाई की व्यवस्था कोविड-19 के गाईड लाईन के अनुसार की जा रही हो। दुकानदारों के स्वास्थ्य ठीक हो तथा उन्हें कोविड संक्रमण सम्बन्धी लक्षण न हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री टी0एच0आर0 बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों का सावधानी पूर्वक अनुपालन करेंगे। गांव में किसी बच्चे, गर्भवती अथवा धात्री महिला का स्वास्थ्य खराब होना पाया जाता तो इसकी तत्काल सूचना जिला चिकित्सालय के वार रूम तथा आपदा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी को प्रदान करेंगे।



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि— समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेशः

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोकने हेतु वर्तमान में 21 दिन का लॉक डाउन प्रभावी है, जिससे कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ा जा सके। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-234 दिनांक-25, मार्च 2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि ग्राम पंचायतों में भी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने हेतु निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के फैलने की सम्भावना न रहे। इसी सन्दर्भ में ग्राम प्रधान संगठन द्वारा आग्रह किया है, कि ग्राम पंचायतों में भी फॉगिंग मशीन की आवश्यकता है, जिससे गांवों को भी सैनिटाईज किया जा सके। कीटाणु शोधन सामग्री एवं फॉगिंग मशीन को राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से कय किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 316/01(वि.आ.निदे.)xxvii(1)/2019, दिनांक 12, अप्रैल 2019 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासनादेश के प्रस्तर-2(ii) में स्वच्छता कार्यों पर धनराशि व्यय किये जाने का उल्लेख है, इसी प्रकार 14वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भी समस्त ग्राम पंचायतों में "सेप्टैज प्रबन्धन सहित स्वच्छता" किये जाने के व्यवस्था है।

अतः जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं महामारी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के रोकथाम हेतु कीटाणु शोधन प्रोटाकोल का पालन करते हुये प्रधान संगठन द्वारा ग्राम पंचायतों में सैनीटाईज किये जाने हेतु ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाईपोक्लोराईट एवं आवश्यकतानुसार मास्क तथा उच्च गुणवत्ता युक्त फोगिंग /स्प्रे मशीन के सम्बन्ध में अनुरोध की गई सामग्री को नियमानुसार कय करने हेतु उक्त शासनादेशानुसार समस्त ग्राम प्रधानों को सूचना करना सुनिश्चित करें।



(डा० आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या-33/आ०प्र०प्रा० (कोविड-19) 2020

दिनांक 03 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2-जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।


जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटे हैं। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखते हुये निगरानी की जा रही है। उक्त व्यक्तियों द्वारा होम क्वॉरन्टाइन के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराये जाने तथा ट्रेवल हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्न प्रकार परगनावार कोविड मजिस्ट्रेट नामित कर उप जिलाधिकारी के नियंत्रण में तैनात किये जाते हैं।

क्र० सं०	जोन	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	सम्पर्क नम्बर
1	परगना पुरोला	श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।	8868040744
2		श्री सोनू त्यागी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला।	9557903163
3		श्री प्रश्न पाल, अपर सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला।	8475897943
4		श्री सन्दीप जायडा, कनिष्ठ अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला।	9548084663
1	परगना बडकोट	श्री अमित चौहान, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौगांव।	7895014434
2		श्री पी०एस० रावत, एस०डी०ओ० सिंचाई खण्ड, बडकोट।	7579461662
3		श्री अंकित नौटियाल, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।	9756133577
4		श्री राम नरेश गुलेरिया, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट।	9760500466


उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये जाते हैं कि तत्काल सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार ग्रामवार होम क्वॉरन्टाइन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जाँच करते हुये आख्या दैनिक रूप से उप जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(डॉ० आशीष चौहान)

पत्र संख्या - 329 / आ.प्र.प्र. (COV-19) 20 दिनांक - 03 अप्रैल 20
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को क्षेत्र आवंटित करेंगे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त टीम में मेडिकल कार्मिक की तैनाती करेंगे।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी ।

पत्र संख्या-328/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 03 अप्रैल, 2020


सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी,
टोंस वन प्रभाग, पुरोला ।
3. उप निदेशक,
गोबिन्द पशु विहार पुरोला,
उत्तरकाशी ।

विषय:— होम क्वॉरनटाइन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक कोरोना वायरस (COVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटे हैं। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखते हुये निगरानी की जा रही है।

चूँकि जनपद उत्तरकाशी की बड़ी जनसंख्या वन क्षेत्र एवं उसके आस-पास निवासरत है। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्मिकों से विभागीय कार्य के साथ-साथ उनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायतों में बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों/मजदूरों का विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराते हुये भारत सरकार द्वारा जारी Home Quarantine के प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाने हेतु जागरूक करते हुये सूचना दैनिक रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर— 01374- 222641 एवं 222126 पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त व्यक्तियों को यह भी सूचित करें कि उनके द्वारा 14 दिन तक Home Quarantine के उपरोक्त Home Quarantine दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत दण्दात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।




(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि:—

उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।




अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

- आदेश -

शासन/प्रभारी सैटेलाइट कंट्रोल रूम कोविड-19, देहरादून के पत्र सं. यू0यू0एस0डी0ए0/COVID-19-SCRU/A-368/900 दिनांक 02-04-2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में गठित BRT/CRT द्वारा शासन स्तर में गठित BRT/CRT को संदिग्ध COVID-19 व्यक्तियों की जो सूची भेजी जा रही है उसमें कई व्यक्तियों की Contact Details अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने के कारण शासन स्तर पर गठित BRT/CRT द्वारा ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची भी सभी जनपदीय नोडल अधिकारियों को प्रेषित की गई है।

पूर्व कार्यालय आदेश सं. 261/आ0प्र0प्रा0/2020 दिनांक 28-04-2020 के द्वारा जनपद स्तर पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु BRT/CRT गठित की गई है, जिसमें अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को समन्वयक नामित किया गया है। अतः उक्त पूर्व निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के स्थान पर श्री विजय प्रताप भण्डारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को समन्वयक नामित किया जाता है। अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को शासन/प्रभारी सैटेलाइट कंट्रोल रूम कोविड-19, देहरादून के उक्त पत्र सं. यू0यू0एस0डी0ए0/COVID-19-SCRU/A-368/900 दिनांक 02-04-2020 के क्रम में जिला स्तर पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु गठित BRT/CRT का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह तत्काल वांछित सूचना आज ही प्रेषित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन की सूचनाएँ सांय 03:00 बजे तक शासन स्तर पर गठित BRT/CRT को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करवायेंगे।

अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी
नोडल अधिकारी } - 6396559528
मो.नं. -



(डॉ० आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

संख्या 327 /एस0पी0ए0/2020 दिनांक 03 अप्रैल ,2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- श्री विजय प्रताप भण्डारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।


जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
परियोजना प्रबन्धक,
शहरी क्षेत्र विकास विकास सस्था,
सैटेलाइट कन्ट्रोल रूम, COVID-19 देहरादून।

पत्र संख्या- 261 / आ0प्रोगा0 (COVID-19) / 2020

दिनांक 27 मार्च, 2020


विषय:- कोविड-19 कन्ट्रोल रूम तथा कन्टेक्ट ट्रेसिंग को सम्बन्ध में

महोदय,

उपयुक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-यू0यू0एस0डी0ए0/Satellite Control Room COVID-19 Dehradun/888 दिनांक 27.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर BRT/CRT टीमों का विकास खण्डवार गठन किया गया है। जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सादर संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-यद्योपरि

भवदीय,



(डॉ० आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पीड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु BRT/CRT गठित का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड/नगर निकाय का नाम	BRT/CRT का समन्वयक क सदस्यों के नाम व पदनाम वगैरे नो	BRT/CRT के अन्य सदस्यों के नाम व गो नो	आवृत्ति वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मोबा नो
उत्तरकाशी	उत्तरकाशी (CRT)	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। (9412990299)	श्री पीसो चौहान, नायब तहसीलदार (9410312009) डॉ० सुमित बरमन, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। (7060730645) श्री कमल कुमार उप निरीक्षक, कोतवाली, उत्तरकाशी (9410749085, 8006259675, 8057632012) श्री प्रवीन कुमार चौधरी, प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई (7895111707, 9411112800)	UA/10GA-0052	श्री कृष्ण पाल गंगादी (9627624744) श्री प्रीतम सिंह (7900883381)
	भटवाडी (BRT)	श्री प्रेम सिंह रावत, तहसीलदार, भटवाडी (9410196239)	श्री ज्योती प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी (8006828140) श्री खुरीराम पाण्डेय, प्रभारी थानाध्यक्ष, मनोरी (9411112663) डॉ० कुलवीर सिंह राणा, चिकित्साधिकारी, सामुह स्वास्थ्य केंद्र, भटवाडी (9410107133) श्री राहुल कुमार, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, भटवाडी (9997082428)	UA/10-0028	श्री अमरपाल बुटोला (9557419325)
	दुण्डा (BRT)	श्री विरेन्द्र सिंह रावत, तहसीलदार, दुण्डा (9411331611 / 9068300000)	श्रीमती दुर्दि आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी दुण्डा (मो-9897970545) श्री महादेव प्रसाद उनीयाल, थानाध्यक्ष, कोतवाली उत्तरकाशी (9411112862) डॉ० सुरज भण्डारी, चिकित्साधिकारी, सामुह स्वास्थ्य केंद्र दुण्डा (9410583966) श्री अजीत चौहान, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, दुण्डा (8128102307)	UA/10TA-4949	श्री सतपाल चौहान (8979700554)
	चिन्वालीसीड (BRT)	श्री श्री श्रुति वस्ता, खण्ड विकास अधिकारी, चिन्वालीसीड (8755451241)	श्री विनोद थपलियाल, थानाध्यक्ष धरासू (9411112864) डॉ० जितेन्द्र भण्डारी, चिकित्साधिकारी समुह स्वास्थ्य केंद्र, चिन्वालीसीड (9412312300)	UA/10-4416	श्री महेश रतुड़ी (8171308174)
	नीगाव (BRT)	श्री मोहन सिंह राणा, तहसीलदार, बडकोट (9412379978 7895818915)	श्री सन्तोष विष्ट, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, चिन्वालीसीड (9758584174) श्री दलवीर सिंह भण्डारी, खण्ड विकास अधिकारी, नीगाव (7455930400) श्री दिनपाल सिंह, थानाध्यक्ष बडकोट (9411112864) डॉ० अमर सिंह राणा, सामुह स्वास्थ्य बडकोट चिकित्साधिकारी (9411142459) श्री जगत सिंह रावत, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, नीगाव (9997082428)	UA/10-0554	श्री रवी (7895832079)
	पुरोला (BRT)	श्री चन्दन सिंह राणा, तहसीलदार पुरोला (9411185908)	श्री तेज सिंह रावत खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला (7579039229) श्री ब्रजराज सिंह रावत, प्रभारी थानाध्यक्ष (9411112866) डॉ० पंकज कुमार, चिकित्साधिकारी, सामुह स्वास्थ्य केंद्र, पुरोला (7455074955) श्री काठ सदीप स्थानीय अभिसूचना इकाई, (7579009607)	UA/07GA-0672	श्री अमित पवार, ()
	मोरी (BRT)	श्री बलवीर सिंह, तहसीलदार, मोरी (7579110434)	श्री देवेंद्र सिंह डिमरी, खण्ड विकास अधिकारी मोरी (7579146499) श्री कंदार सिंह चौहान, थानाध्यक्ष, मोरी। (9412077402) डॉ० एसके जी, चिकित्साधिकारी, सामुह स्वास्थ्य केंद्र, मोरी (9456740735) काठ सदीप कवी, स्थानीय अभिसूचना इकाई, मोरी	UL/07-9146	श्री महेंद्र सिंह (8171718719)

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या-325/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020


दिनांक 03 अप्रैल, 2020

चिकित्साधिकारी,
सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
नौगांव / बडकोट / पुरोला / नोरी।

विषय:- 108 आपातकालीन एम्बुलेंस का कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु उपयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कोरोना वायरस के संक्रमित अथवा संदिग्ध व्यक्ति हेतु पृथक एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाना है जिसका उपयोग अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अथवा दुर्घटना में घायलों के उपयोग हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

अतः 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा विशेष एम्बुलेंस सेवा होने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि 108 आपातकालीन सेवा का उपयोग कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अथवा संदिग्ध मरीजों हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त का उपयोग अन्य मरीजों तथा आपातकालीन स्थितियों में किया जायेगा। कोरोना वायरस से संक्रमण के संदिग्ध / संक्रमित व्यक्तियों हेतु स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य संस्थाओं की पृथक एम्बुलेंस का ही प्रयोग किया जायेगा।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2. जिला प्रभारी 108 एम्बुलेंस सेवा, उत्तरकाशी।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी ।

संख्या— 326 /तेरह-आ0प्र0/2020

दिनांक—03 अप्रैल, 2020

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी ।

विषय— “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार एवं अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थियों हेतु प्रति कार्ड प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० चावल का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या—7-1/2019 (II)—BP.III दिनांक 30.03.2020 तथा आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र संख्या—2179/आ0वि0श0/खाद्यान्न/2019-20 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अन्तोदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवारों हेतु नियमित आवंटन के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न माह अप्रैल 2020 से माह जून 2020 (तीन माह हेतु) तक निःशुल्क आवंटित किया जाना है। उक्त अतिरिक्त देय खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र प्राथमिक परिवारों एवं अन्तोदय कार्ड धारकों को ही देय है। खाद्यान्न उन्ही कार्ड धारकों को देय होगा जिनके राशन कार्ड का डिजीटलीकरण किया जा चुका है।

जनपद उत्तरकाशी में 28.03.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत कुल 13611 राशन कार्ड तथा 54783 यूनिट है। इसी प्रकार प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड की संख्या 35508 तथा 154920 यूनिट है।

अतः उक्त के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि आप तत्काल जनपद के पात्र प्राथमिक परिवार एवं अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थियों हेतु प्रति कार्ड प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० चावल का वितरण करना सुनिश्चित करें। पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के समय सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान विक्रेता द्वारा कोविड-19 के तहत भारत सरकार गाईड लाईन के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वच्छता का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े रहने हेतु निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन किया जाये तथा दुकान पर सेनेटाईजर तथा हाथ धोने हेतु पानी अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

:: आदेश ::

भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2020 से प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य धनराशि बैंकों/ग्राहक सेवा केन्द्रों/भारतीय डाक भुगतान बैंकों में उपलब्ध करायी जायेगी।


उक्त के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में स्थिति बैंको को खुला रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर पारित पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न निर्देश जारी किये जाते है, जो दिनांक 03.04.2020 से प्रभावी होंगे:-

1. दिनांक 03.04.2020 से सभी बैंक प्रातः 8.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक ग्राहकों से लेन देन हेतु खुले रहेंगे।
2. अपराहन 1.00 बजे से 4.00 बजे तक बैंक अपने आन्तरिक मिलान एवं अन्य कार्य सम्पन्न कर सकेंगे।
3. सभी ए0टी0एम0 प्रातः 8.00 बजे अपराहन 1.00 बजे तक खुले रहेंगे।
4. सभी बैंक मित्र भी उपरोक्त समय प्रातः 8.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक नकदी का लेन-देन करेंगे। कुछ बैंक मित्र जो दुकानों में अवस्थित है, उनको मात्र बैंकिंग लेन- देन के लिये ही दुकान (प्रातः 8.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे) के मध्य खोलने की अनुमति होगी।
5. इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक AEPS के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम है, जो आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेंगे, इसलिए सभी बैंक उक्त अवधि में अपने पोस्टमेन/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान भी सम्पन्न करेंगे।
6. बैंक से जुड़े कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा (सक्षम स्तर से) जारी पहचान -पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर ही उन्हे चार-पहिया व दो पहिया वाहन में आवागमन की छूट होगी।
7. बैंक मित्र आवागमन के लिए अनुमति पत्र निर्गत करने हेतु उप जिलाधिकारियों का अधिकृत किया जाता है। उप जिलाधिकारी जिला लीड बैंक अधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार बैंक मित्रों के अनुमति पत्र जारी करेंगे। किन्तु यह अनुमति पत्र केवल उन्ही को जारी किया जायेगा जो वास्तविक रूप से बैंक से सम्बन्धित है।
8. दिनांक 03.04.2020 से 09.04.2020 तक प्रधानमंत्री जन धन खाते धारकों को उनके खाता संख्या के अन्तिम अंक के अनुसार भुगतान होगा।

खाता संख्या का अन्तिम अंक	लाभार्थी के खाते से धन निकासी हेतु निर्धारित तिथि
0 या 1	03.04.2020
2 या 3	04.04.2020
4 या 5	07.04.2020
6 या 7	08.04.2020
8 या 9	09.04.2020

क्रमशः2

9. दिनांक 09.04.2020 के पश्चात खाता धारक किसी भी तिथि को बैंक से धन आहरित कर सकते हैं।
10. जहाँ कहीं ग्राहक/लाभार्थी का अंगूठा लगाया जाना अनिवार्य हो, ऐसे मामलो में अंगूठा लगाने से पहले व बाद में सम्बन्धित उपकरण को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा।
11. कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप बैंकों को सामाजिक दूरी (Social distancing) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस दौरान प्रवेश द्वार पर सैनिटायजेशन की व्यवस्था अपरिहार्य होगी।
12. सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा ए0टी0एम0 के बाहर ~~आगंतुकों~~/उपभोक्ताओं के खड़े रहने हेतु निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन करेंगे। साथ ही हाथ धोने हेतु सैनेटाईजर तथा पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे।
13. सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा ए0टी0एम0 ~~की~~ प्रतिदिन समय-समय पर सोडियम हाइपोक्लोराईड से सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।


(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।


कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या- 322 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 02 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:

1. निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सचिव महोदय, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अध्यक्ष डी0बी0टी0 सेल को अनुश्रवणार्थ प्रेषित।
5. उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने अधिकारिता अन्तर्गत उक्त का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला लीड बैंक अधिकारी से समन्वय कर उनकी मांग के अनुरूप बैंक शाखाओं को पी0आर0डी0 स्वयंसेवक उपलब्ध करायेंगे।
7. नोडल अधिकारी, एन0सी0सी0, उत्तरकाशी को कि जिला लीड बैंक अधिकारी से समन्वय कर उनकी मांग के अनुरूप बैंक शाखाओं को एन0सी0सी0 कैडेट उपलब्ध करायेंगे।
8. जिला लीड बैंक अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित के डी0ओ0पी0आर0डी0 एवं नोडल एन0सी0सी0 से समन्वय कर बैंक शाखाओं हेतु स्वयंसेवक/कैडेट की मांग प्रस्तुत करेंगे।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) को विश्व महामारी एवं आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये लॉक डाउन किया गया है। उक्त लॉक डाउन के कारण जनपद में वृद्ध एकल, विधवा, आदि पेंशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि आदि हेतु शासन द्वारा अग्रिम रूप से धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त योजनाओं के लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किये जाने व अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तान्तरण (DBT) समिति की जाती है—


1. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।

उपरोक्त समिति विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभार्थियों की अद्यतन सूची के अनुसार प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तान्तरण (DBT) सेल के साथ समन्वय स्थापित कर विकास खण्डवार प्रत्येक ग्रामवार रोस्टर तैयार कर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में संचालित प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तान्तरण (DBT) सेल को दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तान्तरण (DBT) सेल का गठन करते हुये निम्न सदस्यों की तैनाती की जाती है—

1. प्रबन्धक, लीड बैंक उत्तरकाशी।
2. प्रबन्धक, RSETI उत्तरकाशी।
3. प्रतिनिधि स्टेट बैंक, उत्तरकाशी।
4. प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी।
5. प्रतिनिधि उत्तराखण्ड गामीण बैंक, उत्तरकाशी।
6. प्रतिनिधि पंजाब नेशनल बैंक, उत्तरकाशी।
7. प्रबन्धक, मुख्य पोस्ट ऑफिस, उत्तरकाशी।

उपरोक्त सेल को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल कन्ट्रोल में उपस्थित रहकर उपरोक्त गठित समिति से समन्वय कर कोरोना नियंत्रण सम्बन्धी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये शासन द्वारा वृद्ध एकल, विधवा, आदि पेंशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि आदि के वितरण हेतु प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार सम्बन्धित लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या—321 / आ०प्र०प्रा० (COVID-19) / 2020

- प्रतिलिपि: 1 उपरोक्त गठित समिति के सदस्यों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: 2 प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तान्तरण (DBT) सेल के अन्तर्गत नामित उपरोक्त सदस्यों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

दिनांक 02 मार्च 2020

संप्रेषित



अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी ।

पत्र संख्या— 318/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020


दिनांक 02 मार्च, 2020
318

1. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बडाहाट / चिन्वालीसौड / बडकोट ।
2. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, नौगांव / पुरोला ।

विषय:— बेसहारा पशुओं के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये लॉक डाउन किया गया है। उक्त लॉक डाउन के कारण पशुओं के प्रभावित होने के दृष्टिगत आपको निर्देश दिये गये थे कि अपने क्षेत्रान्तर्गत बेसहारा/आवारा पशुओं के चारा आदि की पर्याप्त व्यवस्था करें। किन्तु मुख्यालय के कतिपय स्थानों पर आवारा पशुओं को चारों की व्यवस्था नहीं होने के कारण आक्रामक हो रहे हैं। जिस कारण यह जानवर आमजनमानस को क्षति पहुँचा सकते हैं।

अतः उक्त बेसहारा/आवारा जानवरों के चारों की पर्याप्त व्यवस्था कर नियमित चारा प्रदान करना सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त आक्रामक पशुओं की पकड़वा कर अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर रखना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।


(डॉ० आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।


:: आदेश ::

कोरोना वायरस (कोविड-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण (Epidemic Disease) अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के पूर्ण नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत वाहन चालकों, दुकानदारों, सुरक्षा कर्मियों, स्वयं सेवकों, होटल कर्मियों एवं जी०एन०वी०एन० स्टॉफ, आशा, ए०एन०एम०, एन०एस०एस०, आंगनवाड़ी कार्मिकों, फोरेस्ट गार्ड, पी०आर०डी०, स्वाच्छक, वार्ड बायज जनसामान्य की आवश्यकता होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से राहत कार्यों में लगे समस्त कार्मिकों को सुरक्षा को देखते हुये प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा।

उक्त कार्मिकों को उत्तरकाशी मुख्यालय में मास्टर ट्रेनर द्वारा विकासखण्ड पुरोला व नौगांव में बैच तैयार कर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रशिक्षण निम्न कार्यक्रमानुसार प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण 30-30 प्रशिक्षणार्थियों के बैच में एम०टी० द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि 60 मिनट होगी। **प्रशिक्षण प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा।** प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र० सं०	प्रशिक्षार्थी	कार्य जिस निमित्त प्रशिक्षण अपेक्षित	प्रशिक्षण दिवस		प्रशिक्षण स्थल
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
1	एन०सी०सी० / एन०एस०एस०	बहुउद्देशीय बल / सोशल डिस्टेंसिंग	03.04.20	10.04.20	1-जिलाधिकारी कार्यालय सभागार उत्तरकाशी (भटवाडी, डुण्डा चिन्यालीसौड, विकासखण्ड हेत) 2- विकासखण्ड मुख्यालय नौगांव विकासखण्ड नौगांव हेत) 3.विकासखण्ड मुख्यालय पुरोला विकासखण्ड मोरी एवं पुरोला हेत
2	टैक्सी एवं वाहन चालक	संकमित व्यक्तियों का संचलन / शासकीय कार्य	4.04.20	11.04.20	
3	आशा कार्यकर्त्री / आंगनवाडी / ए०एन०एम०	प्रचार-प्रसार एवं पैरा मैडिकल स्टॉफ / सोशल डिस्टेंसिंग / क्वारेन्टाईन प्रोटोकॉल	05.04.20	12.04.20	
4	फोरेस्टगार्ड / पी०आर०डी० / सुरक्षाकर्मी	संकमित व्यक्तियों की पहचान एवं जन सुरक्षा / सोशल डिस्टेंसिंग / क्वारेन्टाईन प्रोटोकॉल	06.04.20	13.04.20	
5	दुकानदार / स्वयंसेवक / जनसामान्य	प्रचार हेतु जागरूकता / सोशल डिस्टेंसिंग	07.04.20	14.04.20	
6	होटलकर्मी / जी०एन०वी० एन० स्टॉफ	क्वारेन्टाईन हेतु व्यवस्था / सोशल डिस्टेंसिंग / क्वारेन्टाईन प्रोटोकॉल	08.04.20	15.04.20	
7	स्वाच्छक / वार्ड बायज	आईसोलेशन / क्वारेन्टाईन प्रोटोकॉल	09.04.20	16.04.20	


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 320 /

दिनांक- 02 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को 40-40 का बैच तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट/टौन्स वन प्रभाग पुरोला/भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी/टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय उत्तरकाशी।
4. उप निदेशक गोविन्द पशु विहार पुरोला/गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी
5. प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तरकाशी।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. अध्यक्ष, होटल एसोसियेशन/अध्यक्ष, व्यापार मण्डल/अध्यक्ष टैक्सी एसोसियेशन/अध्यक्ष, वाहन चालक एसोसियेशन उत्तरकाशी।
11. एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 अधिकारी उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेशः

मा० उच्चतम न्यायालय में कोविड-19 लॉक डाउन से विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को भोजन, आवास तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु रिट याचिका संख्या-468/2020 दायर की गयी है।


मा० उच्चतम न्यायालय में उक्त रिट याचिका संख्या-468/2020 में दिनांक 31.03.2020 को सुनवायी के पश्चात लॉक डाउन से प्रभावितों हेतु चलाये जा रहे राहत कैम्प/शिविरों में रह रहे लोगों के कल्याण तथा उनकी समस्याओं तथा भय के निराकरण हेतु प्रशिक्षित कॉउन्सलर व सभी धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा कॉउन्सिलिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी हेतु निम्नवत कॉउन्सिलिंग समितियों का गठन किया जाता है-

	क्र० स०	कॉउन्सलर/धार्मिक प्रतिनिधि का नाम	पद नाम	मोबाईल न०	आवंटित क्षेत्र
समिति संख्या -01	1	डॉ एस०डी० बर्मन,	मनोचिकित्सक, (पी०सी०पी०) चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9412104972	तहसील भटवाडी,
	2	डॉ० अंशुमन शर्मा,	मनोचिकित्सक, (पी०सी०पी०)जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	-	डुण्डा, चिन्यालीसौड
	3	श्री शिवप्रकाश जी महाराज	रावल, गंगोत्री मन्दिर समिति	9411174750	तथा उप तहसील
	4	मो० इरशाद कुरैशी,	अध्यक्ष, मस्जिद कमेटी, उत्तरकाशी।		जोशियाडा, धौन्तरी का
	5	मो० यूनुस,	इमाम जामा मस्जिद, उत्तरकाशी	9411396912	सम्पूर्ण क्षेत्र
	6	श्री दिनेश प्रसाद भट्ट,	फार्मासिस्ट, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।		
	7	श्री सुरेश सेमवाल	अध्यक्ष श्री 5 मन्दिर समिति , गंगोत्री	9557111493	

समिति संख्या-02	1	श्री कृतेश्वर उनियाल	सचिव, मन्दिर समिति यमनोत्री	9760167588	तहसील बडकोट, पुरोला तथा मोरी का सम्पूर्ण क्षेत्र
	2	डॉ अंगद राणा	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडकोट	9411142459	
	3	डॉ0 पंकज कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला।	7455074955	
	4	श्री मोहन प्रसाद	पुजारी, ग्राम गेर बनाल,	9927282149	
	5	समीर बेग	प्रतिनिधि मुसलिम समुदाय, खरादी, बडकोट।	7310747001	
	6	अयूब	प्रतिनिधि मुसलिम समुदाय, कुकरेडा तहसील मोरी।	9805147055	

उक्त गठित समितियां आवंटित क्षेत्रों में स्थित शरणालयों तथा ऐसे स्थलों जहाँ लॉक डाउन के कारण श्रमिक, निम्न वर्ग के लोग तथा निः सहाय/निराश्रित व्यक्ति रह रहे हैं उनका भ्रमण करते हुये ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनकी कॉउन्सिलिंग करते हुये समस्याओं का निराकरण करेंगे ताकि इनके मध्य व्याप्त भय एवं असुरक्षा की भावना को कम किया जा सकें। साथ ही उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, राशन की पर्याप्त मात्रा, किराये सम्बन्धी समस्याओं आदि पक्षों का निरन्तर अनुश्रवण कर उनके निरन्तर सम्पर्क में रहते हुये उन्हें मनो-सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायेगें।


अध्यक्ष,


जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या 312/तेरह-आ0प्र0/2020

दिनांक- 01 अप्रैल, 2020

- प्रतिलिपि -
- 1- पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह शिविरों अथवा अन्यत्र स्थानों पर निवासरत व्यक्तियों के निरन्तर सम्पर्क में रहेगें।
 - 3- समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या- 315 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020

दिनांक १ मार्च, 2020
अप्रैल


सेवा में,

समस्त ग्राम प्रधान,
विकास खण्ड, भटवाडी / डुण्डा / चिन्यालीसौड / नौगांव / पुरोला / मोरी।

विषय:- ग्राम पंचायत में आयो लोगों द्वारा होम संगरोधन (Home Quarantine) का पालन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-204 / तेरह-आ0प्र0प्राधि0 / कोरोना / 2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 को सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौट रहे हैं। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखते हुये निगरानी कर कन्ट्रोल रूम को सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना है कि यदि ग्राम पंचायत में हाल ही में बाहरी राज्यों से आये लोगों द्वारा Home Quarantine की गाईडलाईन का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनमे कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों से समस्त ग्राम पंचायत के लोग संक्रमित होने की सम्भावना है।


अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित कराना है कि आपकी ग्राम पंचायत में बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से Home Quarantine में रखा जाना सुनिश्चित कराया जाना है। अगर उपरोक्त किसी व्यक्ति द्वारा Home Quarantine के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो उक्त की सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर- 01374- 222641 एवं 222126 पर आवश्यक रूप से अवगत करायें। उक्त व्यक्तियों को यह भी सूचित करें कि उनके द्वारा 14 दिन तक Home Quarantine के उपरोक्त Home Quarantine दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- 1. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार समस्त ग्राम प्रधानों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- 2. खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी / डुण्डा / चिन्यालीसौड / नौगांव / पुरोला / मोरी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी ।

संख्या 316/तेरह-आ0प्र0/2020


दिनांक— 02 अप्रैल, 2020

- 1- समस्त उप जिलाधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी ।
- 2- समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी ।
- 3- समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका / नगर पंचायत
जनपद उत्तरकाशी ।

विषय— लॉक डाउन अवधि में वितरित भोजन, खाद्यन तथा कॉउन्सिल किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि 25 मार्च 2020 से आगामी 21 दिनों के लिए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन अवधि में जनपद में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निःसहाय तथा बेघर व्यक्ति रूके हुये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भोजन, खाद्यन्न तथा शरणालय सुविधा तथा मनौवेज्ञानिक उपचार / सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हैं।

उक्त के क्रम में जनपद में तहसील, ब्लॉक तथा नगरपालिका / नगरपंचायत स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निःसहाय तथा बेघर व्यक्तियों को आपके स्तर से भोजन, खाद्यन्न तथा शरणालय आदि की सुविधा / सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। आपके द्वारा जिन व्यक्तियों को उक्त सहायता प्रदान की जा रही है उनका पूर्ण विवरण तथा अभिलेख धारित करते हुये संलग्न प्रारूप पर प्रतिदिन की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

Description of Relief Camps

District:-

S.No.	Location/ Name of Relief Camps	Number of People Staying	Name of people staying in Camps	Father's/ Husband's name	Age	Sex	Phone number	Whether Sick Yes / No	Type of Illness	Treatment given Yes / No	Name of Nodal Officer for Relief Camp	Designation of Nodal Officer	Contact No. of Nodal Officer
1	A		a										
			b										
			c										
			d										
			e										
			f										
2	B		a										
			b										
			c										
			d										
			e										
			f										


:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी के यमुमना घाटी(विकास खण्ड नौगांव, पुरोला एवं मोरी) हेतु कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागीय कर्मियों सहित वाहन चालकों, सुरक्षा कर्मियों, स्वयं सेवकों, होटल कर्मियों, आशा, ए0एन0एम0,एन0एस0एस0,एन0सी0सी0, आंगनबाडी कर्मियों व जनसामान्य की आवश्यकता होगी। उक्त वायरस के संक्रमण से राहत कार्यों में लगे समस्त कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त कर्मियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता, बैच तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने, प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण करने, प्रशिक्षण सामग्री का परीक्षण तथा दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर आंकलन करने व प्रशिक्षण के अनुश्रवण करने, जिससे राहत कार्य करने वाले समस्त कर्मिको द्वारा कार्य के दौरान सम्भावित त्रुटियों के न्यूनीकरण किये जाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार प्रशिक्षण विंग गठित की जाती है-

क्र0सं0	आधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष नम्बर
1	श्री विनोद कुमार सिमल्टी	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बडकोट।	7253993565
2	श्री चतर सिंह चौहान	खण्ड शिक्षाधिकारी (पुरोला)	9068415667
3	श्री अमित चौहान	उप शिक्षाधिकारी (नौगांव)	7895014434
4	श्रीमती भारती भण्डारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी (नौगांव)	9760766486

उक्त प्रशिक्षण विंग, पूर्व में प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारी, सर्व श्री रामेन्द्र कुशवाहा मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तरकाशी, श्री जितेन्द्र सक्सेना जिला शिक्षाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सुश्री दृष्टि आनंद खण्ड शिक्षा अधिकारी, डुण्डा, डॉ0 विपुल विश्वास, उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डॉ0 तरुण बुकेश्वर से समन्वय कर, होने वाले समस्त प्रशिक्षणों का प्रभावी संचालन व उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारियों के सम्यक दायित्व निर्वहन हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला सभागार कलक्ट्रेट उत्तरकाशी में दिनांक 02.04.2020 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी है, जिसमें अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या- 313/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020

दिनांक मर्च, 2020
01.3.20

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
- 3- उपरोक्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

दिनांक 31 मार्च 2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में चिकित्सा सामग्री/उपकरण कय करने तथा आईसोलेशन वार्ड के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त—

कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु जनपद में चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता तथा भावी आवश्यकता के आकलन तथा कय करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में आपदा परिचालन केन्द्र में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी डुण्डा, प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय तथा आपदा प्रबन्धन अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निम्न प्रकार विचार-विमर्श किया गया तथा निर्देश दिये गये।

1—सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा जनपद में तथा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सा सामग्री जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक है का विवरण उपलब्ध कराया गया। जनपद तथा जिला चिकित्सालय में आज की तिथि ट्रिपल लेयर मास्क 6858, सेनिटाईजर-1092, एन-95 मास्क-1280, पी0पी0ई0 -234, ग्लव्ज-10423, उपलब्ध है।

2—बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि जनपद एवं जिला चिकित्सालय में 6858 ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मास्क की और अधिक आवश्यकता होगी। कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, नगरपालिका तथा चिकित्सा एवं फील्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के लिए मास्क की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि कोरोना संक्रमण का प्रसार होता है तो उस स्थिति से निपटने हेतु जनपद स्तर पर मास्क का स्टॉक काफी संख्या में होना चाहिए। सी0एम0ओ एवं पी0एम0एस0 द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार बैठक में 20 हजार ट्रिपल लेयर मास्क खरीदने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है।

3— बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि जनपद एवं जिला चिकित्सालय में 1280 एन-95 मास्क उपलब्ध है। जनपद में कोरोना संक्रमण को रोकने तथा इस कार्य में तैनात चिकित्सा तथा अन्य विभागीय कार्मिकों हेतु यह स्टॉक अप्रत्याप्त है। सी0एम0ओ एवं पी0एम0एस0 द्वारा आकलन किया गया कि जनपद हेतु 5-6 हजार अतिरिक्त एन-95 मास्क की आवश्यकता पड़ेगी। N-95 मास्क से मेडिकल कर्मियों के आत्मविश्वास में वृद्धि एवं कार्य हेतु संक्रमण से बचाव हेतु अनिवार्यता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा व्यक्त की गयी।

4— जनपद में पी0पी0ई0 किट की उपलब्धता 234 है। कोविड-19 के संक्रमण के सम्भावित प्रसार के दृष्टिगत यह अत्यन्त न्यून है। जनपद में विदेशों तथा विभिन्न राज्यों से अभी तक 3373 व्यक्ति आये हैं। इन व्यक्तियों से जनपद में कोरोना संक्रमण फैलने की प्रबल सम्भावना है। प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के दृष्टिगत पूर्व तैयारियों के क्रम में 1000 अतिरिक्त पी0पी0ई0 किट अबिलम्ब कय को औचित्यपूर्ण माना गया।

क्रमशः.....2

—44

5- जनपद में वर्तमान में 1092 सैनिटाईजर उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत विभिन्न चिकित्सालयों तथा कार्यालयों हेतु अतिरिक्त मात्रा में सैनिटाईजर क्वय किया जाना आवश्यक है। पी0एम0एस0 तथा सी0एम0ओ0 द्वारा बैठक में अवगत कराया कि जनपद में विदेशों तथा राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आये हैं और उनमें कोरोना के लक्षण प्रकट होने की अत्यधिक सम्भावना है जिसके दृष्टिगत जनपद हेतु सैनिटाईजर का क्वय करना अति आवश्यक है। बैठक में चिकित्सा विभाग द्वारा 500 एम0एल0 के 1800 सैनिटाईजर तथा 120 एम0एल0 के 576 सैनिटाईजर की आवश्यकता है तथा क्वय करने की मांग की गयी। यह मांग की मात्रा अधिक होने का औचित्य मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पुलिस कर्मियों, जनमानस से अंतक्रिया (व्यवहार) करने वाले विभिन्न कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु उपयुक्त/आवश्यक बताया गयी। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सैनिटाईजर का मांग के अनुरूप क्वय किया जाय। किन्तु 500 एम0एल0 तथा 120 एम0एल0 की बोतल को 50 से 100 एम0एल0 की छोटी बोतल में भरकर मांग के अनुरूप विभिन्न विभागों एवं चिकित्सालय को उपलब्ध करायी जाये। किसी भी दशा में सैनिटाईजर का दुरुप्रयोग न किया जाय तथा मितव्ययता से इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

6- जनपद में कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़ने की सम्भावना है। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर बड़ी संख्या में लोगों के स्वाब के सैम्पल लिये जाने आवश्यक होंगे जिस हेतु पर्याप्त संख्या बी0टी0वाइल क्वय करना आवश्यक है। जनपद में वर्तमान समय में 44 बी0टी0वायस शेष रह गये हैं। बैठक में पी0एम0एस0 द्वारा अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों के सैम्पल हेतु 500 बी0टी0वाइल की आवश्यकता होगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद अनी में तक 3372 बाहरी लोग आये हैं और संक्रमण पाये जाने पर Contact Tracing में एक साथ अनेक व्यक्तियों के नमूने प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक बताया गया। यदि संक्रमण प्रभावित या लक्षण वाले लोग अधिक संख्या में आते हैं तो न्यूनतम 500 बी0टी0वाइल रखना उचित होगा। बैठक में सम्यक विचारोंपरान्त 500 बी0टी0वाइल क्वय करने को औचित्यपूर्ण पाया गया।

7- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि जिला चिकित्सालय में कोविड-19 संक्रमण से निपटने हेतु 100 बेड क्षमता के आइसोलेशन वार्ड तैयार किये जा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड हेतु उच्च गुणवत्ता के 20 मेडिकल बेड तथा 02 ट्रॉली की अतिरिक्त आवश्यकता है। आइसोलेशन वार्ड में ए0सी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें चिकित्सकों द्वारा यह बताया गया कि आइसोलेशन वार्ड के प्रोटोकॉल के अनुरूप हवादार कक्ष होना आवश्यक है तथा प्रति घण्टा 12 बार हवा का विनिमय (Air Exchange) होना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं डॉ0 सुबेग द्वारा अवगत कराया गया कि आइसोलेशन वार्ड हेतु N-95 फिल्टरयुक्त Exhaust Fan के साथ लगाये जाने उपयुक्त होंगे। बैठक में सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि आइसोलेशन हेतु तैयार उपरोक्त वार्डों में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त क्षमता का Exhaust Fan मय N-95 फिल्टर के साथ जिसमें वार्ड की प्रोटोकॉल अनुसार वैन्टीलेशन भी हो सकेगी तथा संक्रमण से बचाव किया जा सकेगा। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आइसोलेशन वार्ड हेतु 20 मेडिकल बेड तथा 02 ट्रॉली क्वय करने की मांग की गयी, जिसे क्रय किये जाने की सहमति बनी।

— 44 —

8- कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु जनपद में चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल कार्मिकों की भर्ती किये जाने की निर्देश शासन से प्राप्त है। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मुख्य विकास अधिकारी तथा सी०एम०ओ० द्वारा अवगत कराया कि उनके स्तर पर भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही के क्रम में इम्पैनल्ड ऐजन्सी को मांग प्रेषित की जा चुकी है। किन्तु नियोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त कार्मिकों की तैनाती में शिथिलता वरती जा रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र नियुक्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। सचिव चिकित्सा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की वर्तमान की स्थिति की दृष्टिगत जिला चिकित्सालय हेतु कार्मिकों की अस्थायी तैनाती करने की कार्यवाही जिलास्तर पर सम्पादित की जाये। अस्थायी नियुक्ति/तैनाती हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया जनपद में भर्ती समिति का गठन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता की में किया जाये जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय, उप जिलाधिकारी भटवाडी, तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सदस्य रखा जाये तथा अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

9- जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बाहर से आये चिकित्सकों हेतु आवास तथा भोजन की समुचित व्यवस्था गढवाल मण्डल विकास निगम तथा आवश्यकता पड़ने पर निजी होटलों में करना सुनिश्चित करें।

10- बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिकित्सा सामग्री की जनपद में कमी के सम्बन्ध रोष प्रकट किया तथा अवगत कराया कि जनपद की मांग के अनुरूप सामग्री न्यून मात्रा में रखा जाना उचित नहीं है। जिलाधिकारी कय समिति को निर्देशित किया कि तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से चिकित्सा सामग्री तथा उपकरणों की विवेकसम्मत, औचित्यपूर्ण मात्रा में क्रय करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि क्रय की जाने वाली सामग्री आवश्यकता के अनुरूप ही हो। यह भी निर्देश दिये गये कि कय समिति अन्यत्र जनपदों से चिकित्सा सामग्री की दरों का मिलान कर लें तथा जनपद स्तर पर कोविड-19 संक्रमण से पूर्व कय सामग्री की दरों से तुलना करें ताकि मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि प्रकट होने पर उचित मूल्य पर मितव्ययता सुनिश्चित करते हुए सामग्री कय की जाये।



प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 708/एस०पी०ए०/2020

दिनांक- 31, मार्च, 2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।



प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।


:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागीय कर्मियों सहित वाहन चालकों, सुरक्षा कर्मियों, स्वयं सेवकों, होटल कर्मियों, आशा, ए०एन०एम०, एन०एस०एस०, एन०सी०सी०, आंगनवाड़ी कर्मियों व जनसामान्य की आवश्यकता होगी। उक्त वायरस के संक्रमण से राहत कार्यों में लगे समस्त कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त कर्मियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता, बैच तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने, प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण करने, प्रशिक्षण सान्नी का परीक्षण तथा दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर आंकलन करने व प्रशिक्षण के अनुभवण करने, जिससे राहत कार्य करने वाले समस्त कर्मियों द्वारा कार्य के दौरान सम्भावित त्रुटियों के न्यूनीकरण किये जाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार प्रशिक्षण विंग गठित की जाती है-

क्र०सं०	आधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष नम्बर
1	श्री रामेन्द्र कुशवाहा	मुख्य शिक्षाधिकारी।	9410649727
2	श्री जितेन्द्र सक्सेना	जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक)	9410913699
3	सुश्री दृष्टि आनंद	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	9897970645
4	श्री विक्रम जोशी	खण्ड शिक्षाधिकारी, डुण्डा	8171778011

उक्त प्रशिक्षण विंग, पूर्व में प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारी, डॉ० विपुल विश्वास, उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डॉ० तरुण बुकेश्वर से समन्वय कर, होने वाले समस्त प्रशिक्षणों का प्रभावी संचालन व उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


जध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या- /आ०प्र०प्रा० (CoVID-19)/2020

दिनांक 01 मार्च, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
- 3- उपरोक्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्थापित कन्ट्रोल रूम व उनकी नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों का विवरण -

क्र०सं०	कन्ट्रोल रूम का विवरण	कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	नोडल अधिकारी का दूरभाष नम्बर
1	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र	01374-222126 / टोलफ्री नम्बर-1077 with PRI Line 05 Connection) मोबाईल नम्बर- 7500337269, 7252887587, 7310913129 सैटेलाइट फोन नम्बर- 918991117704, फैक्स नम्बर- 01374- 222722 वायरलेस सेट-पुलिस वायरलेस सेट वन विभाग	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299
			श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।	9456147974
2	पुलिस कन्ट्रोल रूम	9411112976 8868815266	श्री कमल सिंह पंवार, पुलिस उपाधीक्षक, नोडल	9411112779
			श्री सचिन कुमार, रेडियो संचार अधिकारी, उत्तरकाशी।	9456311248
			श्री सुधांशू SI प्रभारी	9456378119
3	वार रूम, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	01374-222640	डॉ० वी०के० विश्वास, उप चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	7248336889
			श्री जयप्रकाश सिंह पंवार	9456326641
4	हेल्प डेस्क	01374-222177	श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड चिन्थालीसोड	7579186700
5	नागरिक आपूर्ति		श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी।	9411149140



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।


जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्थापित कन्ट्रोल रूम, नोडल अधिकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों का विवरण -

क्र.सं.	कार्य/विवरण	नोडल अधिकारी नाम/पदनाम	मोबाईल नम्बर	अन्य दूरभाष नम्बर
1	कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सम्पूर्ण जनपद नोडल अधिकारी	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374- 222109
2	परगना स्तर IRS प्रणाली के तहत Incident Commander	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उप जिला मजिस्ट्रेट, भटवाडी	9410191049	01374-222166
		श्री आकाश जोशी, उप जिला मजिस्ट्रेट, डुण्डा।	7579073428	01371-225419
		श्री सोहन सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट, बडकोट	9719773528	01375-224423
		श्री मनीष कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट, बडकोट (प्रशिक्षु आई०ए०एस०)	8447513145	01373-223321
3	अन्यत्र राज्यों में फसे व्यक्तियों की सहायता हेतु	श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।	9411112733	कार्यालय-222116 आवास- 222102
		श्री पी०सी० डंडरियाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	9410108103	01374-222724
		श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374- 222109
4	जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत बाहर से आने वाले नागरिकों के चिन्हिकरण हेतु	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374- 222109
		डॉ० डी०पी० जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	9837020379	01374-222106
		डॉ० वी०के० विश्वास, उप चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	7248336889	01374-222106
		श्री कमल सिंह पवार, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी (गंगा वैली)	9411112779	01374-222116
5	नागरिक आपूर्ति	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी।	9411149140	01374-222269
		श्री गोपाल मट्टडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।	9410180103 7088115020	01374-223839
		श्री अनुज, पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट (यमुना वैली)	9411112766	01375-224241
6	क्रय एवं फाईनेंस	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374- 222109
7	ट्रेनिंग	डॉ० तरुण बुकेश्वर, चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	9759075509	-
8	मूल्य नियंत्रण	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374- 222109
9	होम डिलेवरी	श्री सचिन कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी।	7894808800	-
10	हेल्प डेस्क	श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड चिन्त्यालीसोड	7579186700	-

क्रमशः.....2



क्र.सं.	कार्य / विवरण	नोडल अधिकारी नाम / पदनाम	मोबाईल नम्बर	अन्य दूरभाष नम्बर
11	खान-पान व्यवस्था	श्री चतर सिंह चौहान प्रमारी अधिकारी जिला कार्यालय उत्तरकाशी।	8006509340	-
12	मीडिया मैनेजमेन्ट	श्री चतर सिंह चौहान, प्रमारी अधिकारी, जिला कार्यालय उत्तरकाशी।	8006509340	-
13	होम क्वॉरनटाइन	डॉ० सुजाता, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9411723371	-
14	अभिलेखीकरण	श्री सुरेश नौटियाल, अपर अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तरकाशी।	9719491692	-
15	परिवहन	श्री चक्रपाणि मिश्रा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।	9560904773	-
16	कार्मिक प्रबन्धन	श्री पी०सी० डंडरियाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	9410106103	01374-222724
17	असंगठित मजदूरों का कल्याण	श्री दर्शन लाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	9690465761	-
18	प्रमारी, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	डॉ० एस०डी० सकलानी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	7830700501	-
19	आपदा प्रबन्धन	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।	9456147974	-


 (डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
 प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
 उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

संख्या 3137 / तेरह- कोविड-19 / 2020 दिनांक 31, मार्च 2020
शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
उत्तरकाशी।

विषय :- आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तहसीलदारों के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयक निम्न प्रकार तहसीलदारों के नाम से संचालित बैंक खाते में धनराशि आर0टी0जी0एस0/नैपटी के माध्यम से हस्तान्तरित करने का कष्ट करे, तथा भुगतान की जा रही कुल धनराशि रू0 30.00 लाख (तीस लाख) भारतीय स्टेट बैंक उत्तरकाशी में जिलाधिकारी उत्तरकाशी के नाम से संचालित चालू खाता संख्या 11288290416 से समायोजित की जाय।

क्रमांक	तहसील का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0सी0कोड	धनराशि (रू0 में)
1	भटवाडी	भा0स्टेट बैंक	31799371237	एस0वी0आई0एन0-0002316	5,00,000.00
2	डुण्डा	पी0एन0वी0	1533001300000378	पी0यू0एन0वी0-0153300	5,00,000.00
3	चिन्थालीसौंड	भा0स्टेट बैंक	31473311019	एस0वी0आई0एन0-0003934	5,00,000.00
4	बडकोट	भा0स्टेट बैंक	11802212038	एस0वी0आई0एन0-0003290	5,00,000.00
5	पुरोला	भा0स्टेट बैंक	31778272866	एस0वी0आई0एन0-0003293	5,00,000.00
6	मोरी	भा0स्टेट बैंक	31478428283	एस0वी0आई0एन0-0005451	5,00,000.00
योग :-					30,000,00.00

(तीस लाख मात्र)

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदारों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वर्तमान में कोरोना वायरस के सक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत लॉक डाउन की स्थिति में अपनी तहसील/उप तहसीलान्तर्गत निवासरत गरीब व्यक्तियों, जरूरतमंद व्यक्तियों तथा प्रवारी मजदूरों / श्रमिकों को लॉक डाउन अवधि में शरणगृह स्थापित करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को भोजन आदि की व्यवस्था हेतु अग्रिम के रूप में आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग समय - समय पर निर्गत वित्तीय नियमों का पालन करते हुए कार्य समाप्ति के पश्चात नियमानुसार व्यय बाउचर सत्यापित करते हुए लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की सूची इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी ।

पत्र संख्या— 298/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 30 मार्च, 2020

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष, युवक मंगल दल एवं
महिला मंगल दल, जनपद उत्तरकाशी ।


विषय:— होम संगरोधन (Home QUARANTINE) के सम्बन्ध में।

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौट रहे हैं। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखत हुये निगरानी की जानी है।

अतः आप जनपद के समस्त ग्रामों में आपके क्षेत्र में हाल ही में बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों को 14 दिनों तक Home Quarantine में रहने के सम्बन्ध में निम्न दिशानिर्देशों का पालन किये जाने हेतु जागरूक करते हुये उन पर निगरानी रखें।

1. होम संगरोधन के लिये एक पृथक हवादार कमरा हो, जिसमें टॉयलेट भी हो।
2. अगर उस कमरे में अन्य परिजन हो, तो वह परिवार के अन्य सदस्यों से एक मीटर की दूरी रहें
3. ऐसे व्यक्ति घर के अन्य बुजुर्गों, गर्भवतियों और बच्चों से दूर रहें।
4. ऐसे व्यक्ति उक्त अवधि में किसी भी समारोह, शादी, पार्टी में सम्मिलित ना हो।
5. व्यक्ति साबुन से हाथ धोएं और एल्कोहल हैंड सैनेटाईजर का इस्तेमाल करें।
6. व्यक्ति घर में पानी, बर्तन, तौलिए और अन्य किसी सामग्री को न छुएँ।
7. वह व्यक्ति सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। हर 6-8 घंटे में मास्क बदलें। मास्क का निस्तारण कूड़ादान में सही से करें।
8. संलग्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
9. यदि किसी व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द, खांसी, छीक आना, सांस लेने में समस्या हो तो तत्काल कन्ट्रोल रूम को सूचित करें।


यदि किसी व्यक्ति द्वारा Home Quarantine का पालन नहीं किया जाता है तो उक्त की सूचना कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर— 01374-222722, 222641 एवं 222126 पर आवश्यक रूप से सूचित करें। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को अवगत कराये कि यदि उनके द्वारा 14 दिन तक Home Quarantine के उपरोक्त Home Quarantine दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:— जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद अन्तर्गत गठित समस्त युवक एवं महिला मंगल दलों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित कर दैनिक रूप से ग्राम वार आख्या कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायें।


(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या-298 आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 30 मार्च, 2020

1. प्रभारी
एन0एस0एस0, जनपद उत्तरकाशी।
2. प्रभारी
एन0सी0सी0, जनपद उत्तरकाशी।

विषय:- कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 के छात्र/छात्राओं की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये लॉक डाउन किया गया है।


अतः उक्त के दृष्टिगत जनपद में कोरोना वायरस से सम्बन्धित नियंत्रण एवं आवश्यक तैयारियों के दृष्टिगत एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 के छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी से समन्वय कर कोरोना नियंत्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कर सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:-1 मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-2 मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रेषक

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

महा निदेशक,
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

पत्र संख्या-276/आ0प्र0प्र0 (COVID-19)/2020

दिनांक 29 मार्च, 2020

विषय:- जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी को कोरोना चिकित्सालय नामित करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या-आई0डी0एस0पी0/(COVID-19)/2019-20 दिनांक 28.03.2020 के द्वारा कोरोना (CoVID-19) वायरस के रोकथाम हेतु जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी को कोरोना चिकित्सालय स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित भी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये लॉक डाउन किया गया है तथा पर्याप्त रोकथाम के निर्देश दिये गये हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में कोरोना (covid- 19) की रोकथाम हेतु 100 बेडेंड आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है।


अतः उपरोक्तानुसार जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में तैयार किये गये सुविधाओं के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी को कोरोना वायरस (covid- 19) चिकित्सालय के रूप में स्थापित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डॉ० अनीप चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त महोदय गढ़वाल मण्डल, पीडी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।


संख्या 223/तेरह-आ0प्र0/2020

दिनांक- 29 मार्च, 2020

- 1- कमान अधिकारी,
1442, वी0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन,
तेखला, उत्तरकाशी।
- 2- कमान अधिकारी,
72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट, उत्तरकाशी।
- 4- परियोजना प्रबन्धक,
एन0एच0आई0डी0सी0एल0, बडेथी, उत्तरकाशी।

विषय— ऑल वेदर रोड़ कार्य में कार्यरत मजदूरों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि 25 मार्च 2020 से आगामी 21 दिन के लिए सम्पूर्ण देश में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लॉक डाउन किया गया है। जैसा की आपको विधित है कि लॉक डाउन की अवधि में प्रत्येक दशा में ऑल वेदर रोड़ के कार्य को द्रुत गति से गतिमान रखे जाने के निर्देश है, ताकि COVID-19 के समय आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित रखा जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यरत श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उन्हें कार्य हेतु प्रेरित करने, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। यदि किसी नियोक्ता अथवा अनुज्ञापी द्वारा श्रमिकों को निकाले जाने का निर्णय लिया जाता है अथवा श्रमिकों पर दबाव बनाया जाता है तो सम्बन्धित उत्तरदायी नियोक्ता अथवा अनुज्ञाधारी के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही प्रस्तावित करें।



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


::आदेश::

में जिलाधिकारी उत्तरकाशी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(A) दिनांक 24 मार्च 2020 के क्रम में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में जनपद में स्थित समस्त फुटकर एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित करता हूँ कि वे निम्न निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें-

- 1- आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची अनिवार्य रूप से अपने प्रतिष्ठान प्रदर्शित करें। पैकेज आईटम पर आवश्यक रूप से मूल्य अंकित करें तथा खुली हुयी वस्तुओं के मूल्य का अंकन मूल्य सूची पर अनिवार्य रूप से अंकित करें।
- 2- अपने प्रतिष्ठान पर आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध स्टॉक की सूचना अनिवार्य रूप से चरसा करेंगे।
- 3- आवश्यक वस्तुओं का एम0आर0पी0 पर ही वितरण करेंगे किसी भी दशा में उससे अधिक मूल्य नहीं लेंगे।
- 4- आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
- 5- अनावश्यक रूप से किसी भी आवश्यक वस्तु का भण्डारण नहीं करेंगे तथा उपलब्धता होने पर ग्राहक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी भी थोक या फुटकर विक्रेता द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(A) दिनांक 24. मार्च 2020 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की अधीन कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


संख्या- 280

/तेरह-आ0प्र0/2020

दिनांक- 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तरकाशी।
- 2- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 3- जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांक- 26 मार्च, 2020


संख्या- 27/ तेरह-आ0प्र0/2020

समस्त उप जिलाधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय-चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता एवं उपभोग का सत्यापन विषयक।

कोरोना वायरस (CoVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक लॉक-डाउन किया गया है। लॉक डाउन अवधि में CoVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री यथा मास्क, पी0पी0ई0, लेटेक्स ग्लब्स, सर्जिकल ग्लब्स, एन0-95 मास्क, हेन्ड सेनेटाईजर, आई0आर0 थर्मामीटर, सोडियम हाईपो क्लोराईट, ब्लीचिंग पाउडर, नेब्युलाईजर, तथा ऑक्सीजन सिलेण्डर आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।


अतः उक्त के क्रम में आदेशित किया जाता है की आप तत्काल अपने परगना क्षेत्रान्तर्गत समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टॉक की जाँच कर सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी के साथ सयुक्त रूप से सत्यापन करते हुए प्राप्ति एवं खपत का विवरण उपलब्ध करायें। पूर्व में स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी सामग्री की खपत का औचित्य स्पष्ट करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री है, यदि किसी कार्मिक अथवा अधिकारी द्वारा उक्त सामग्रियों दुरुपयोग की स्थिति पायी जाये तो तत्काल सूचना उपलब्ध करायेंगे।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 2- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
- 3- समस्त चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
परियोजना प्रबन्धक,
शहरी क्षेत्र विकास विकास संस्था,
सैटेलाइट कन्ट्रोल रूम, COVID-19 देहरादून।

पत्र संख्या- 261 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 30 मार्च, 2020


विषय:- कोविड-19 कन्ट्रोल रूम तथा कन्टेक्ट ट्रेसिंग के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-यू0यू0एस0डी0ए0/Satellite Control Room COVID-19 Dehradun/888 दिनांक 27.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर BRT/CRT टीमों का विकास खण्डवार गठन किया गया है। जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सादर संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,



(डॉ० आशीष चौहान),

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:-

निम्नांकितों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु BRT/CRT गठित का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड/नगर निकाय का नाम	BRT/CRT का समन्वयक क सदस्यों के नाम व पदनाम व मो० न०	BRT/CRT के अन्य सदस्यों के नाम व मो० न०	आवृत्त वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो० न०
उत्तरकाशी	उत्तरकाशी (CRT)	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। (9412990299)	श्री पीसो चौहान, नायब तहसीलदार (9410312009) डॉ सुमित बरमन, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। (7060730645) श्री कमल कुमार उप निरीक्षक, कोतवाली, उत्तरकाशी (9410749085, 8006259675, 8057632012) श्री प्रवीन कुमार चौधरी, प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई (7895111707, 9411112800)	UA/10GA-0052	श्री कृष्ण पाल गंगाडी (9627624744) श्री प्रीतम सिंह (7900863081)
	भटवाडी (BRT)	श्री प्रेम सिंह रावत, तहसीलदार, भटवाडी (9410196239)	श्री ज्येती प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी (8006828140) श्री खुशीराम पाण्डेय, प्रभारी थानाध्यक्ष, मनरी (9411112863) डॉ० कुलवीर सिंह राणा, चिकित्साधिकारी, सामु० स्वास्थ्य केन्द्र, भटवाडी (9410107133) श्री राहुल कुमार, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, भटवाडी (9997082428)	UA/10-0028	श्री अमरपाल बुटोला (9557419325)
	डुण्डा (BRT)	श्री विरेन्द्र सिंह रावत, तहसीलदार, डुण्डा (9411331611/9068300000)	श्रीमती दृष्टि आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा (मो०-9897970545) श्री महादेव प्रसाद उनियाल, थानाध्यक्ष, कोतवाली उत्तरकाशी (9411112862) डॉ० सूरज भण्डारी, चिकित्साधिकारी, सामु० स्वास्थ्य केन्द्र डुण्डा (9410583666) श्री अजीत चौहान, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, डुण्डा (8126102307)	UA/10TA-4949	श्री सतपाल चौहान (8979700554)
	चिन्यालीसौड (BRT)	सुश्री श्रुति वस्त, खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड (8755451241)	श्री विनोद थपलियाल, थानाध्यक्ष धरासू (9411112864) डॉ० जितेन्द्र भण्डारी, चिकित्साधिकारी सामु० स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड (9412312300) श्री सन्तोष विष्ट, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, चिन्यालीसौड (9758584174)	UA/10-4416	श्री महेश रतूडी (8171308174)
	नौगांव (BRT)	श्री मोहन सिंह राणा, तहसीलदार, बडकोट (9412379978, 7895818915)	श्री दलवीर सिंह भण्डारी, खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव (7455930400) श्री दिगपाल सिंह, थानाध्यक्ष बडकोट (9411112864) डॉ० अंगद सिंह राणा, सामु० स्वा० बडकोट चिकित्साधिकारी (9411142459) श्री जगत सिंह रावत, निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, नौगांव (9997082428)	UA/10-0554	श्री रवी (7895692079)
	पुरोला (BRT)	श्री चन्दन सिंह राणा, तहसीलदार पुरोला (9411185808)	श्री तेग सिंह रावत खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला (7579039229) श्री ऋतुराज सिंह रावत, प्रभारी थानाध्यक्ष (9411112866) डॉ० पंकज कुमार, चिकित्साधिकारी, सामु० स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला (7455074955) श्री का० संदीप स्थानीय अभिसूचना इकाई, (7579009607)	UA/07GA-0672	श्री अमित पंवार, 0
	मोरी (BRT)	श्री बलवीर सिंह, तहसीलदार, मोरी (7579110434)	श्री देवेन्द्र सिंह डिमरी, खण्ड विकास अधिकारी मोरी (7579146499) श्री केदार सिंह चौहान, थानाध्यक्ष, मोरी। (9412077402) डॉ० एस०के० जोशी, चिकित्साधिकारी, सामु० स्वास्थ्य केन्द्र, मोरी (9456740735) का० संदीप कवी, स्थानीय अभिसूचना इकाई, मोरी	Uk/07-9146	श्री महेन्द्र सिंह (8171718719)

ह०
नोडल अधिकारी